



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274869
CG-DL-E-27072026-274869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3960]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3960]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4130(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 166(अ) तारीख 12.01.2026 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 156 तारीख 12.01.2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा असम राज्य में पारादीप – नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन के मध्यम से कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बरपेटा	बरनगर	दुमका बौसी	बांदरखोवा	319	00	05	08
				414	00	25	69
				230	00	07	89
				81	00	06	42
				83	00	02	14
बरपेटा	बरनगर	दुमका बौसी	चेंगेलिया	25	00	35	72
				26	00	27	83
				720	00	00	94
				566	00	08	29
				567	00	02	01

[फा. सं. आर-11025(14)/1/2020-ओआर-I- भाग(1)/ई-48803]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4130(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 166(E) dated 12.01.2026, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 156 dated 12.01.2026, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil through Paradip – Numaligarh crude oil pipeline in the state of Assam by Numaligarh Refinery Limited (NRL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Numaligarh Refinery Limited (NRL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
					Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Barpeta	Barnagar	Dumka Bausi	Bandarkhowa	319	00	05	08
				414	00	25	69
				230	00	07	89
				81	00	06	42
				83	00	02	14
Barpeta	Barnagar	Dumka Bausi	Chengelia	25	00	35	72
				26	00	27	83
				720	00	00	94
				566	00	08	29
				567	00	02	01

[F. No. R-11025(14)/1/2020-OR-I-Part(1)/E-48803]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.